रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08032024-252762 CG-DL-E-08032024-252762

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1071]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2024/फाल्गुन 17, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2024/PHALGUNA 17, 1945

No. 1071]

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2024

का. आ. 1128(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एत्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ (1) इस आदेश को रसोई के लिए विधुत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा जाएगा।
 - (2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के बाद लागू होगा।
- 2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

1630 GI/2024 (1)

बशर्ते कि इसके अतिरिक्त सूक्ष्म उद्यम के संबंध में, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) के तहत परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह की अविध समाप्त होने के बाद लागू होगा।

बशर्ते कि लघु उद्यम के संबंध में भी, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की अवधि समाप्त होने के बाद लागू होगा।

- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण भारतीय मानक ब्यूरो तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।
- 4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी– इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
रसोई के लिए विधुत	302 (भाग 2/ खंड 23) : 2009	घरेलू और इसी प्रकार के विधुत उपकरणों की सुरक्षा - विशेष
उपकरण		आवश्यकताएँ - टोस्टर, ग्रिल्स, रोस्टर और इसी तरह के
		उपकरण
	302 (भाग 2/ खंड 31) : 2009	घरेलू और इसी प्रकार के विधुत उपकरणों की सुरक्षा - विशेष आवश्यकताएँ - रेंज हूड्स

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी-29026/8/2/2022-एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 5th March, 2024

- **S.O.** 1128(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-
- 1. **Short title and commencement.-** (1) This order may be called the Electrical Appliances for Kitchen (Quality Control) Order, 2023.
- (2) It shall come into force on the expiry of six month from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
- 2. **Compulsory use of Standard Mark.-**Goods or articles specified in column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-1 of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that in relation to micro enterprises, as defined under clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on expiry of twelve month from the date of publication of this notification:

Provided also that in relation to small enterprises, as defined under clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on expiry of nine month from the date of publication of this notification:

- **3.** Certification and enforcement authority.- The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Table.
- **4. Penalty for Contravention.-** Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Electrical Appliances for Kitchen	302 (Part 2/Sec 9): 2009	Safety of household and similar electrical appliances - particular requirements - toasters, grills, roasters and similar appliances
	302 (Part 2/Sec 31): 2009	Safety of household and similar electrical appliances - particular requirements - range hoods

Note.— For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply.

[F. No. P-29026/8/2/2022-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.